

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०- 21, दिनांक- 19.06.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-5 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुरसंड के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

2. उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत, सुरसंड के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

30.7-19

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक 2ब०/ना०सु०-03-15/2018 3995/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 30/07/19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुरसंड/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडा, पटना/योजना एवं विकास विभाग/कार्यपालक अभियंता, बुडको सीतामढ़ी/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7-19

सरकार के विशेष सचिव।

01

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब0/नांसु0-03-15/2018 21 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 14/6/19

विषय:- नगर पंचायत, सुरसंड में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु ₹169.56000 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹84.78 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. नवगठित नगर पंचायत, सुरसंड के कार्यपालक पदाधिकारी, के पत्रांक- 11, दिनांक- 28.05.2019 द्वारा प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि का विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में नवगठित नगर पंचायत, सुरसंड में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पूर्व से उत्तर बिहार के नगर पंचायतों हेतु स्वीकृत मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की योजना को निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल ₹84.78 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	नगर पंचायत, सुरसंड	नगर पंचायत, सुरसंड में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन का निर्माण।	169.56000	84.78000	84.78000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र।
इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन बुडको, सीतामढ़ी द्वारा कराया जायेगा।
5. स्वीकृत ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुरसंड होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण बुडको, सीतामढ़ी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।
6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
8. स्वीकृत ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।
9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।
10. नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-
 - (i) योजना का कार्यान्वयन बुडको, सीतामढ़ी द्वारा किया जाएगा।

- (ii) जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजना के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजना का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
- (iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण- लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०-03-15/2018 के पृष्ठ सं०-०७/टि० पर दिनांक-18.06.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-०५/टि० पर दिनांक-11.06.19 को प्राप्त है।
14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुरसंड तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.6.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/ना०सु०-03-15/2018

21

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-19/6/19

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सुरसंड/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, बुडको, सीतामढ़ी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आईटीओ प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.6.19

सरकार के विशेष सचिव।

